उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

संख्या-3118/ सत्तर-5-2023-25/2019टी0सी0-18

लखनऊ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) की धारा-27 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों/प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय, जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिये अपनाये जाने वाले प्रविषय, शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, को स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली, 2023

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं 2 (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 2023) से है;

(ख) "समिति" का तात्पर्य आयोग या अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से गठित की गई समिति से है;

(ग) "परीक्षा" का तात्पर्य अध्यापक या अनुदेशक के चयन हेतु संचालित परीक्षा से है;

(घ) "साक्षात्कार" के अन्तर्गत मौखिक परीक्षा या व्यक्तित्व परीक्षा सम्मिलित है;

(ङ) "अधिकारी" का तात्पर्य आयोग के अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत सचिव, परीक्षा

नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं उप सचिव सम्मिलित हैं;

(च) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है;

(छ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ज) "ज्येष्ठतम सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य के रूप में अधिकतम कुल सेवा अवधि वाले सदस्य से है। ऐसे मामलों में जहां दो या अधिक सदस्यों ने एक ही दिनांक को आयोग के भीतर अपनी भूमिकायें शुरू की हैं, ज्येष्ठता के निर्धारण के लिए उम्र निर्णायक मापदण्ड होगी।

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य अध्यापक के किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और जो अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार की गयी हो;

(ञ) "रिक्ति" का तात्पर्य किसी अध्यापक या अनुदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, पदच्युति या हटाये जाने या नये पद के सृजन या किसी पदाधिकारी का किसी उच्चतर पद पर मौलिक रूप से पदोन्नति या नियुक्ति के परिणाम स्वरूप हुई रिक्ति से है;

(2) इस में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-10, सन 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-20, सन 1921), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-34, सन 1972), भवन एवं अन्य सन्निर्माणकर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (अधिनियम संख्या-27, सन् 1996), या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन्

2023), उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली 2021, में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम तथा नियमावली में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय-दो
आयोग का गठन और आयोग के कर्मचारी वर्ग

चयन मानदण्ड एवं प्रक्रिया 3 (1) आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष के चयन हेतु एक तलाश समिति होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगेः-

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन - अध्यक्ष

(ख) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ0 प्र0 शासन - सदस्य,

(ग) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन-सदस्य,

(घ) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य,

(ङ) अपर मुख्य/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन -सदस्य सचिव,

(2) उक्त तलाश समितिः-

(क) अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद पर चयन के लिये सूची तैयार करेगी। अधिनियम की धारा-4 में उल्लिखित अर्हता के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र विज्ञापन के दिनांक से 25 दिन के भीतर आनलाइन/आफलाइन आमंत्रित करेगी।

(ख) अध्यक्ष/सदस्यों के पद हेतु रिक्तियों से सम्बंधित प्राप्त आवेदन-पत्रों/जीवन-वृत्तों (बायो डाटा) का विस्तृत परीक्षण करेगी जिसमें विशेष रूप से उनकी शैक्षिक अर्हतायें, प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किये गये

उल्लेखनीय कार्य एवं उक्त अभ्यर्थियों की साख, सक्षमता एवं सत्यनिष्ठा का विवरण हो।

(ग) अभ्यर्थियों की अर्हता एवं पृष्ठभूमि से सम्बंधित अभिलेखों का सत्यापन सम्बंधित संस्थानों से करायेगी एवं उक्त से सम्बंधित अभिलेखों को अभिलेखागार में रखा जायेगा।

(घ) अभ्यर्थियों के जीवन-वृत्त के परीक्षणोपरान्त जहां तक सम्भव हो आयोग के अध्यक्ष पद हेतु यथासम्भव 05 अभ्यर्थियों के नाम तथा सदस्य पद हेतु रिक्तियों की संख्या के सापेक्ष यथासम्भव 03 गुना की सिफारिश की संस्तुति करेगी, किन्तु यदि किसी नाम पर तलाश समिति के 02 सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाती है तो सम्बंधित अभ्यर्थी का नाम अल्पसूची (शार्टलिस्ट) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा,

(3) अध्यक्ष/सदस्य के पद पर चयन/नियुक्ति हेतु तलाश समिति की सिफारिश के अनुसार सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों की सूची मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

(4) अधिनियम की धारा-3 के अधीन मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन के पूर्व प्रस्तावित नामों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी,

(क) भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य राज्यों के सेवारत अधिकारियों को चयनित करने पर उनके संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सतर्कता जाँच/विभागीय कार्यवाही प्रचलित न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा;

(ख) भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य राज्यों के ऐसे व्यक्ति जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, को नियुक्ति दिए जाने के पूर्व उनके पूर्ववृत्त की

सूचना सम्बंधित विभाग अथवा अन्य स्रोतों से, जैसा उपयुक्त समझा जाय, प्राप्त की जायेगी;

(ग) राज्य या राज्य के बाहर की शिक्षण संस्थाओं के शिक्षाविदों के मामले में उनके पैतृक निवास स्थान के साथ-साथ वर्तमान निवास स्थान से सम्बंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जो सम्बंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी,

(घ) राज्य या राज्य के बाहर के ऐसे गैर-सरकारी व्यक्तियों के मामले में उनके पैतृक निवास स्थान तथा वर्तमान निवास स्थान से सम्बंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी, जो सम्बंधित जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगी,

(5) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आदेश तभी जारी किये जायेंगे यदि उपरोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार जारी किये गये चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सम्बंध में रिपोर्ट संतोषजनक पायी जाये।

अनर्हता **4** कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त होने या बने रहने के लिये अपात्र होगा, यदि वह,-

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय-निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्तसेवायोजन में अभिनियोजित हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्ध कदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) वह किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता हो, सिद्ध-दोष ठहराया गया हो;

(ङ) वह संसद या किसी राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो;

(च) वह भारत का नागरिक न हो, या उसने स्वेच्छा से या अन्यथा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या उसके प्रति निष्ठा या अनुरक्ति को अभिस्वीकार किये हुए हो।

कदाचार का अन्वेषण **5** किसी अध्यक्ष या सदस्य के लिए अधिनियम की धारा-6 की उपधारा-2 में निर्दिष्ट कदाचार के अन्वेषण और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

(1) जहाँ किसी शिकायत पर या अन्यथा राज्य सरकार का, चाहे आरम्भिक जाँच करने के पश्चात् या अन्य प्रकार से, यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया कदाचार का मामला बनता है, वहाँ वह सम्बंधित सदस्य या अध्यक्ष को या तो बिना शर्त के पद से त्याग-पत्र देने या अन्वेषण का सामना करने का विकल्प देगी।

(2) यदि ऐसा विकल्प देने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर कोई बिना शर्त त्याग-पत्र प्राप्त न हो तो राज्य सरकार, जाँच अधिकारी नियुक्त कर सकती है जो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवा-निवृत्त न्यायाधीश होगा या ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये पात्र हो।

(3) जाँच अधिकारी सम्बंधित सदस्य या अध्यक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसा साक्ष्य लेने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, जाँच पूरी होने के 15 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा। जांच के दौरान सम्बन्धित सदस्य या

अध्यक्ष को कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं आवंटित किये जायेंगे।

(4) ऐसी जाँच करने में जाँच अधिकारी जाँच के नियमों और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग-दर्शित होगा और जाँच की प्रक्रिया से सम्बन्धित औपचारिक नियमों द्वारा आबद्ध नहीं होगा।

(5) उत्तर प्रदेश विभागीय जाँच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-4 सन् 1976) के उपबन्ध ऐसी जाँच पर लागू होंगे।

(6) यदि विचारण के अनुक्रम के दौरान किसी कारण से जाँच अधिकारी बदल दिया जाय तो नये जाँच अधिकारी के लिये नये सिरे से जाँच प्रारम्भ करना आवश्यक नहीं होगा और जाँच उस चरण से जारी रखी जा सकती है जिस चरण पर जाँच अधिकारी बदला गया हो।

(7) इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन जाँच अधिकारी को जाँच की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत उसकी बैठक का स्थान और समय निर्धारित करना और यह निश्चय करना भी है कि जाँच सार्वजनिक रूप से या कैमरे की निगरानी में की जानी चाहिये।

अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग 6 (1) राज्य सरकार द्वारा आयोग में एक सचिव, जो विशेष सचिव से अनिम्न रैंक का आई0ए0एस0/पी0सी0एस0 अधिकारी, एक परीक्षा नियंत्रक (ग्रेड वेतन 7600 पे-लेवल 12 के समकक्ष या से ऊपर), एक वित्त नियंत्रक (ग्रेड वेतन 8700/- पे-लेवल 13 के समकक्ष या से ऊपर), उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का एक विधि अधिकारी (ग्रेड वेतन 7600/- पे-

लेवल 12 के समकक्ष या से ऊपर), एक वित्त एवं लेखाधिकारी (ग्रेड वेतन 5400/- पे-लेवल 10 के समकक्ष या से ऊपर), बाह्य प्रदाता प्राप्त एक कम्प्यूटर एवं आई0टी0 समन्वयक और चार उप सचिव (ग्रेड वेतन 6600/- पे-लेवल 11 के समकक्ष या से ऊपर) अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार आदेश द्वारा अवधारित करे। आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार उक्त पदों एवं वेतनमानों को घटा एवं बढ़ा सकती है।

(2) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रत्येक पूर्ण कालिक कर्मचारी की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी। वेतन, अन्य भत्ते, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति, पेंशन, उपदान (ग्रैच्युटी), पारिवारिक पेंशन, समस्त प्रकार के अवकाश, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा सुविधाएं एवं लाभ आदि, अवकाश नगदीकरण बोनस, अवकाश यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) आदि, सेवा निवृत्ति की आयु तथा सेवा निवृत्ति के अन्य समस्त नियम जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए शासन द्वारा प्रवृत्त हैं अथवा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। सरकारी सेवकों के भवन निर्माण/मरम्मत, वाहन क्रय आदि के लिए अग्रिम की समस्त सुविधाएं उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग कर्मचारियों को भी देय होगी।

(3) आयोग अन्तरित सेवारत कार्मिकों का आवश्यकतानुसार उपयोग करेगा।

अवकाश	**7**	**(1)**	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण उसी अवकाश के हकदार होंगे जैसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिये अनुमन्य हैं।
		(2)	आयोग के अधिकारीगण एवं कर्मचारी वर्ग उसी अवकाश के हकदार होंगे जैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी के लिये अनुमन्य है।

अध्याय-तीन
आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया

बैठकें	**8**	**(1)**	जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाय, आयोग की बैठक साधारणतया प्रत्येक मंगलवार को होगी और यदि वह कार्य-दिवस न हो तो मंगलवार के ठीक अनुवर्ती कार्य दिवस को होगी। यद्यपि अध्यक्ष, किसी भी समय, यदि आवश्यकता पड़ती है या यदि कम से कम दो सदस्य उसके लिये लिखित रूप में अधियाचन प्रस्तुत करें तो आयोग की असाधारण बैठक आहूत कर सकता है। सचिव द्वारा सदस्यों को असाधारण बैठक के लिए कम से कम चौबीस घण्टे अग्रिम रूप से सूचना दी जायेगी,
		(2)	प्रत्येक बैठक का दिनांक और समय, अध्यक्ष का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात सचिव द्वारा संसूचित किया जायेगा।
		(3)	सचिव, बैठक की कार्य सूची तैयार करेगा और अध्यक्ष द्वारा उसे अनुमोदित करायेगा और उसे प्रत्येक सदस्य को बैठक की नोटिस के साथ भेजेगा,
		(4)	आयोग की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति तत्समय कुल सदस्यों की आधी संख्या से होगी।

परन्तु यह कि गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(5) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित ज्येष्ठतम-सदस्य, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा। आयोग के सदस्य की ज्येष्ठता, राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवधारित होगी। यदि दो या अधिक सदस्य एक ही दिनांक को पद ग्रहण करें तो राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार ज्येष्ठता में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(6) यथासम्भव, बैठक में लिया गया विनिश्चय सर्वसम्मत से होगा। किसी मतभेद की स्थिति में आयोग का विनिश्चय किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा। यदि मत समान हों तो अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। असहमति प्रकट करने वाला सदस्य अपनी असहमति की टिप्पणी अभिलिखित कर सकता है, जो बैठक की कार्यवाही का भाग होगी।

(7) जब अध्यक्ष छुट्टी पर रहने के कारण अनुपस्थित हो या आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तब ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा। परन्तु यह कि ऐसे मामलों की सूची, जिनपर अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान कोई विनिश्चय किया गया हो और जिनके सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी हो यथास्थिति उनके अवकाश से वापस आने या अपने कर्तव्यों को फिर से संभालने पर उनके समक्ष रखी जायेगी।

(8) अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य आयोग के दिन-प्रतिदिन कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(9) अध्यक्ष को आयोग की पूर्व अनुसूचित बैठक को किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(10) यदि अध्यक्ष की राय है कि आयोग द्वारा किया जाने वाला कार्य अत्यधिक है और आयोग की बैठक सुविधानुसार नही बुलायी जा सकती है, तो प्रस्ताव के रूप में प्रचलित विषय द्वारा सदस्यों की राय माँग सकता है। यदि अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी सदस्य से राय प्राप्त नही होती है तो ऐसे सदस्य को प्रस्ताव से सहमत हुआ समझा जायेगा।

कार्य आवंटन की प्रक्रिया और समितियों का गठन

9 (1) **(क)** आयोग, कार्य आवंटन समिति के माध्यम से समय-समय पर अपने सदस्यों में कार्य का आबंटन करेगा। अध्यक्ष अत्यावश्यक मामलों में किसी सदस्य को कोई कार्य आबंटित कर सकता है और अपनी अगली बैठक में आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

(ख) आयोग अपने कार्य के सुविधाजनक और शीघ्र संचालन के लिए समिति या समितियों का गठन कर सकता है और किसी विनिर्दिष्ट कृत्य के सम्पादन या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के संचालन के लिए किसी सदस्य को प्राधिकृत कर सकता है।

(2) उपनियम 1 के खण्ड (क) के अधीन किये गये कार्य आबंटन में संशोधन, परिवर्तन या उपान्तर जब कभी आवश्यक समझा जाय, किया जा सकता है।

(3) आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य समिति का संयोजक होगा।

(4) उन मामलों के होते हुये भी जिनमें आयोग ने अन्यथा निदेश दिया है, अन्य मामलों में समिति का विनिश्चय आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा।

परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य

10 **(1)** आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। परीक्षा समिति में आयोग का अध्यक्ष, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव होंगे। आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का चेयरमैन होगा।

(2) परीक्षा समिति, अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करेगी जो आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित नियमों, या आदेशों के अधीन उसे सौपें जाय।

(3) परीक्षा समिति का चेयरमैन परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) जब तक अन्यथा विहित न हो, ऐसी परीक्षाओं से संबन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप में होगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षा सम्बंधी अभिलेख आयोग के निमित्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे किन्तु चेयरमैन के आदेश से जारी किये जायेंगे। ऐसे समस्त अभिलेख चेयरमैन के अनुदेश पर सचिव/परीक्षा नियत्रंक की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(5) ऐसी परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध परीक्षा समिति के द्वारा आयोग के परामर्श से और ऐसे निदेशों के अनुसार किये

जायेंगे जो आयोग द्‌वारा इस निमित्त जारी किये जाय।

साक्षात्कार बोर्ड का गठन 11 (1) आयोग विभिन्न पदों या पदों के श्रेणियों, जिनके लिये साक्षात्कार आयोजित होना है, के लिये पृथक साक्षात्कार बोर्ड गठित करेगा और जहॉ किसी विशेष पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन कर सकता है;

(2) जब कभी एक से अधिक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाता है वहॉ ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की संरचना में चक्रानुक्रम द्‌वारा, उतनी बार जितनी बार वह उचित समझे, परिवर्तन कर सकता है;

(3) किसी साक्षात्कार बोर्ड में कम से कम एक सदस्य और दो विशेषज्ञ होंगे, किन्तु आयोग, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी साक्षात्कार बोर्ड में एक से अधिक सदस्यों या दो से अधिक विशेषज्ञों को सम्मिलित कर सकता है। अल्पसंख्यक संस्थाओं के अध्यापकों के चयन हेतु साक्षात्कार बोर्ड गठित करते समय अल्पसंख्यक समुदाय के विशेषज्ञ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया विहित करेगा;

परन्तु यह कि जहॉ किसी चयन के लिये आमंत्रित विशेषज्ञ ने अपनी असमर्थता व्यक्त की हो या आने में अन्यथा विफल रहा हो और पैनल से किसी अन्य विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिये पर्याप्त समय न हो, वहाँ आयोग द्‌वारा विहित अर्हताओं को रखने वाले किसी अन्य उपलब्ध विशेषज्ञ को अध्यक्ष के अनुमोदन से सचिव आमंत्रित कर सकता है,

(4) साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोग द्‌वारा निर्धारित किया जायेगा;

(5) साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आनलाइन संसूचना आयोग की वेबसाइट/ई-मेल/एस0 एम0एस0 पर एवं समाचार पत्रों में निर्मोचित करने से 10 दिन पूर्व सूचित किया जायेगा।

(6) यदि कोई सदस्य साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अध्यक्ष उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को साक्षात्कार संचालित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस तथ्य से ऐसे साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियॉ और उसके द्वारा किये गये चयन अविधिमान्य नहीं होंगे;

(7) साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित ज्येष्ठतम-सदस्य साक्षात्कार बोर्ड की अध्यक्षता करेगा। साक्षात्कार बोर्ड की कार्यवाहियाँ आयोग के समक्ष अनुमोदन के लिये यथाशक्य शीघ्र रखी जायेगी तत्पश्चात् संस्तुति जारी की जायेगी। ऐसा अनुमोदन परिचालन द्वारा आयोग की किसी बैठक में प्राप्त किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का पैनल

12 (1) आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के लिए विषयवार विशेषज्ञों का पैनल विहित प्रक्रियानुसार उन व्यक्तियों में से तैयार किया जायेगा जो निम्नलिखित में हो या रह चुके हों:

(एक) राज्य शिक्षा सेवा का सदस्य;

(दो) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का आचार्य, सह-आचार्य या सहायक आचार्य, किन्तु किसी सह-आचार्य और सहायक आचार्य के मामले में, उसे इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(तीन) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्व सहायता प्राप्त स्नातक या

सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(चार) उत्तर प्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त या उससे सम्बद्व सहायता प्राप्त स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक, जिन्हें इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(पाँच) राजकीय स्नातक या सहायता प्राप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य;

(छः) राजकीय स्नातक या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सहायक आचार्य या प्राध्यापक, जिन्हें इस रूप में दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं होना चाहिए;

(सात) राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य (इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के साक्षात्कार हेतु),

(आठ) व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य श्रेणी-1, जिन्हें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, अथवा संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षणार्थी/शिक्षु) अथवा अपर निदेशक (प्रशिक्षणार्थी/शिक्षु)

(2) उप नियम (1) के अधीन तैयार किये गये विशेषज्ञों के पैनलों से विशेषज्ञों का चयन अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा,

(3) विशेषज्ञों के पैनल का गुप्त दस्तावेज होगा और उसे सचिव द्वारा या उसके विनिर्दिष्ट निदेश या आदेश के अधीन किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा मुहरबन्द लिफाफा में निरापद

अभिरक्षा में रखा जायेगा और अध्यक्ष के लिखित मांग पर प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) उप नियम (1) के अधीन गठित विशेषज्ञों का पैनल यथासम्भव प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित किया जायेगा। परन्तु यह कि पूर्व सूची में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र होगा,

(5) किसी साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञ को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विहित दर से अनधिक ऐसी दर पर जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, पारिश्रमिक और तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुसार यात्रा भत्ता संदत किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के बाहर से विशेषज्ञों को अनुमन्य वायुयान किराया अध्यक्ष के अनुमोदन से दिया जायेगा।

अध्यक्ष की शक्ति और कर्तव्य

13 **(1)** अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष, आयोग की प्रशासनिक, अनुशासनात्मक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, और

(क) उन समितियों की जिनका वह सदस्य हो समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा;

(ख) आयोग और उसके सदस्यों की कार्य प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा;

(ग) आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने और यात्रा भत्ता बिलों को पारित करने के प्रयोजनों के लिए सदस्यों का नियन्त्रक अधिकारी होगा;

(घ) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की कार्य प्रणाली पर पर्यवेक्षण करने की शक्ति रखेगा।

(2) यदि अध्यक्ष अपने अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का

निर्वहन करने में असमर्थ हैं तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सदस्य को ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है:

परन्तु यह कि ऐसे समस्त विषय जिनके संबंध में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की अवधि के दौरान विनिश्चय या कार्यवाही की जा चुकी है, जैसे ही वह अपने पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करता है, उसके समक्ष सूचना के लिए रखे जायेंगे।

सदस्यों की शक्ति और कर्तव्य 14 अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और आयोग के विनिश्चयों के अध्यधीन, कोई सदस्य पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन में अध्यक्ष की सहायता करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का संपादन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा समानुदेशित किये जायं।

सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य 15

(1) सचिव, आयोग के कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान होगा और अधिनियम एवं तद्धीन बनाए गए नियमों और आयोग तथा अध्यक्ष के विनिश्चयों के उपबन्धों के अनुसार कृत करेगा,

(2) वह आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारी वर्ग का नियंत्रक अधिकारी होगा और उनके कर्तव्य समनुदेशित करेगा,

(3) ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिनका आयोग नियुक्ति प्राधिकारी है, सचिव द्वारा आयोग के पूर्वानुमोदन से अधिनियम की धारा-28 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार की जायेगी,

(4) सचिव निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-

एक- आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों के अभिलेखों का अनुरक्षण करना;

दो- आयोग को अपनी सूचना और सन्दर्भ के लिए शीर्षकवार व्यय की रिपोर्ट का त्रैमासिक प्रस्तुतीकरण;

तीन- आयोग के क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात राज्य सरकार को प्रस्तुत करना;

चार- आयोग या अध्यक्ष द्वारा सौपे गये किसी कार्य का निर्वहन करना;

पांच- साक्षात्कार संबंधी समस्त कार्यो को आयोग द्वारा अधिनियम की धारा-28 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार करेगा;

छः- चयनित अभ्यर्थियों के नाम और चयन के अभिलेखों का अनुरक्षण।

परीक्षा नियन्त्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य

16 (1) परीक्षा नियत्रंक, आयोग की परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन संबंधी समस्त कृत्यों का नियंत्रक प्राधिकारी होगा और आयोग एवं परीक्षा समिति के विनिश्चयों के उपबन्धों के अनुसार कार्य करेगा।

(2) परीक्षा नियत्रंक निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा-

एक- परीक्षा केन्द्रों, केन्द्र अधीक्षकों तथा कक्ष निरीक्षकों की व्यवस्था;

दो- परीक्षार्थियों/अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक आवंटन एवं प्रवेश पत्र की व्यवस्था;

			तीन- आवेदन पत्र आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापन के प्रक्रम से चयनित अभ्यर्थियों का पैनल अग्रसारित करने के प्रक्रम तक पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाहियाँ;
			चार- आवेदन पत्रों की समुचित और समय से संवीक्षा।
वित्त नियन्त्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य	17		वित्त नियत्रंक, आयोग के विनिश्चयों और अध्यक्ष के विनिश्चय के अनुसार शासकीय नियमों के अधीन लेखा से संबंधित समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा सचिव के माध्यम से आयोग को उसकी सूचना और शीर्षकवार व्यय की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण करेगा।
उप सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य	18		उप सचिव, आयोग और अध्यक्ष के विनिश्चयों के अनुसार कार्य करेगा। सचिव की अनुपस्थिति में या सचिव का पद रिक्त होने पर उसके समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वहन परीक्षा नियन्त्रक द्वारा किया जायेगा।
आयोग का कार्यालय समय तथा अवकाश	19	**(1)**	आयोग का कार्यालय समय 10.00 बजे प्रातःकाल से 5.00 बजे सायंकाल तक होगा।
		(2)	सप्ताह में छः दिन का कार्य दिवस होगा तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों से भी आच्छादित होगा।
		(3)	यदि कार्य के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को कार्यालय समय के पूर्व या पश्चात कार्य करने के लिए कहा जा सकता है।
		(4)	आयोग के अन्य अवकाश के दिन वही होंगे जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के होंगे।

अध्याय-चार

अर्हता (अध्यापक/अनुदेशक की अर्हताएं)

राष्ट्रीयता	20		अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी, नागरिकता अधिनियम, 1955 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार भारत का नागरिक हो ।
आयु	21	(1)	अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें यथास्थिति, आयोग द्वारा रिक्तियॉ विज्ञापित की जायें, सम्बन्धित अधिनियमों/ सेवानियमावली/ विश्वविद्यालय परिनियमावली/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होंगी।
		(2)	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।
अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हतायें/आरक्षण/अधियाचन	22		किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों/ सेवानियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होंगी। प्राधिकृत अधिकारी, भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा।
चरित्र	23		अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए, अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होगा कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवायोजन

			के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। आयोग इस संबंध में अपना समाधान करेगा। **टिप्पणीः-**संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।
वैवाहिक प्रास्थिति	**24**		किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो; परन्तु यह कि राज्य सरकार, किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है।
शारीरिक स्वस्थता	**25**	**(1)**	यथास्थिति किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।
		(2)	किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के

		चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।
बालिका/महिला संस्था में पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रतिषेध	**26**	कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका/महिला संस्था में किसी अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

अध्याय-5

भर्ती की प्रक्रिया

भर्ती का स्रोत	**27**	अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के स्रोत वही होंगे जो सम्बन्धित अधिनियमों/सेवा नियमावली/विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित हैं।
रिक्तियों का अवधारण और अधिसूचित किया जाना	**28 (1)**	नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, सीधी भर्ती के प्रयोजन से अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और रिक्तियों को, यथास्थिति, निदेशक (उच्च शिक्षा) या निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) या निदेशक (बेसिक शिक्षा) या निदेशक (प्रशिक्षण एवं सेवायोजन) या महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से आयोग को यहां दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा।

(2) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए भर्ती के वर्ष के अन्तिम दिनांक को सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रिक्तियों का विवरण भर्ती के वर्ष की 15 जुलाई तक उपनियम (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजा जायेगा और प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने के पश्चात प्रत्येक श्रेणी के पदों की रिक्तियों के बारे में विषयवार एवं आरक्षण श्रेणीवार रिक्तियों का समेकित विवरण तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार किया गया समेकित विवरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी भर्ती वर्ष के 31 जुलाई तक आयोग को भेजा जायेगा।

परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करना समीचीन है तो वह लिखित आदेश द्वारा किसी विशेष भर्ती के वर्ष के संबंध में आयोग को रिक्तियाँ अधिसूचित किये जाने के लिए कोई अन्य दिनांक नियत कर सकती है।

(3) यदि, उप-नियम (2) के अधीन रिक्तियों के अधिसूचित किये जाने के पश्चात अध्यापक अथवा अनुदेशक के किसी पद पर कोई रिक्ति होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी इसके होने के पन्द्रह दिन के भीतर उक्त उपनियम के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी को अधिसूचित करेगा और प्राधिकृत अधिकारी उसे प्राप्त करने के दस दिन के भीतर आयोग को भेज देगा।

(4) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट दिनांक तक रिक्तियां अधिसूचित नहीं करता या उक्त उपनियम के अनुसार उन्हें अधिसूचित करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार ऐसी संस्था में रिक्तियों को अवधारित करेगा और उक्त उपनियम में निर्दिष्ट रीति से और दिनांक तक आयोग को अधिसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपनियम के अधीन आयोग को अधिसूचित की गई ऐसी रिक्तियां संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिसूचित की गयी समझी जायेगी।

(5) अधिसूचित रिक्तियों के पदों को एकल स्थानान्तरण द्वारा नहीं भरा जायेगा,

परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में यदि एकल स्थानान्तरण आवश्यक हो तो यथा संभव शीघ्र, उक्त प्रक्रिया को आयोग के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक होगा और एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त पद निदेशक द्वारा अधिसूचित पदों में सम्मिलित माना जायेगा और यह रिक्ति भी उसी चयन प्रक्रिया से आच्छादित रहेगी। चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद किसी भी दशा में एकल स्थानान्तरण नही किया जायेगा।

रिक्तियों की अधिसूचना तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना

29 (1) आयोग, सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और अन्य

आरक्षित श्रेणियों जैसा कि सरकारी सेवाओं में समय-समय पर लागू हो, के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्तियों का विज्ञापन कम से कम दो ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में करेगा, जिनका राज्य में व्यापक प्रचलन हो, और चयन हेतु विचार किये जाने के लिए आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। ऐसी विज्ञप्ति आयोग अपनी बेवसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

(2) यदि तीन वर्ष के अन्दर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को पुनः इसे विज्ञापित करने का अधिकार होगा।

(3) अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों के चयन हेतु विज्ञापन के लिए रिक्तियों की सूचना अलग से प्रकाशित की जायेगी और उनकी चयन प्रक्रिया में, साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदाय से एक विशेषज्ञ प्रतिनिधि को अतिरिक्त रूप से रखा जायेगा।

चयन की प्रक्रिया **30** **(1)** आयोग आवेदन पत्रों की संवीक्षा करेगा और अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद के सम्बंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा में दो घण्टे के कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र (सामान्य ज्ञान एवं सम्बन्धित वैकल्पिक विषय) होगा। लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90 प्रतिशत अंक तथा 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिए होगा। जहॉ साक्षात्कार नही होगा वहॉ लिखित परीक्षा पूर्णांक का शतप्रतिशत अंक होगा। पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जायेगा।

(2) लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केन्द्रो का निर्धारण किया जायेगा और निरीक्षकों को मानदेय ऐसे दर पर संदत्त किया जायेगा, जैसा आयोग द्वारा नियत किया जाय।

(3) लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्याः15/24/2018-का0-4-2018, दिनांक 20 नवम्बर, 2018 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार अवधारित किये जायेंगे।

(4) स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के अंक, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (ए.पी.आई.) के अंक एवं साक्षात्कार के अंको को समेकित कर योग्यताक्रमानुसार चयन सूची निर्गत की जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (सामान्य ज्ञान एवं प्रशासनिक अभिक्षमता) होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित मानकों के अधीन ए0पी0आई की गणना की जायेगी।

(5) आयोग, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयोग द्वारा नियुक्त किये परीक्षक से या कम्प्यूटर द्वारा करायेगा और परीक्षक को मानदेय, आयोग द्वारा नियत किये जाने वाले दर पर संदत्त किया जायेगा।

(6) जहाँ साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है वहाँ साक्षात्कार के लिए 10 प्रतिशत अंक रखे जायेंगे। साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्वान्त यह होगा कि सामान्य ज्ञान, व्यक्तित्व परीक्षण एवं अभिव्यक्ति की योग्यता के दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक दिये जायेंगे।

(7) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले

अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के 3 से 5 गुने तक जैसा आयोग उचित समझे, होगी, अन्तिम अंक (कटआफ) प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(8) साक्षात्कार बोर्ड में विषय विशेषज्ञों के परामर्श के आधार पर अंक साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिया जायेगा।

(9) चयन की निष्पक्षता एवं शुचिता को बनाये रखने के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया के अन्तिम परिणाम से पूर्व अभ्यर्थियों के अंक प्रकट नहीं किये जायेंगे।

(10) अध्यापक अथवा अनुदेशक के जिन पदों पर साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक है उसमें आयोग लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त हुये अंकों को जोड़कर और जहॉ केवल लिखित परीक्षा होना है उसमें आयोग मात्र लिखित परीक्षा में प्राप्त अकों के आधार पर विज्ञापन के सापेक्ष मेरिट क्रम से जो अभ्यर्थी सर्वाधिक उपयुक्त पाये जायें, उनका एक पैनल तैयार करेगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जायेंगे तथा लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंको को देखा जायेगा। दोनों के भी अंक समान होने पर अनिवार्य अर्हता का अधिकतम प्रतिशत/पी0एच0डी0 और जे0आर0एफ0, नेट और पी0एच0डी0, जे0आर0एफ0, नेट, पी0एच0डी0 को देखा जायेगा एवं सभी समान होने पर अन्त में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जायेंगे। यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान है तो उस

अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का हो, उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूचना **31** **(1)** आयोग अधियाचन भेजने वाले प्राधिकृत अधिकारी को, विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के उपनियम (10) के अनुसार तैयार पैनल अग्रसारित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी इसे संस्था आवंटन के पश्चात इस निमित्त प्राधिकृत संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को भेजेंगे। संस्था आवंटन निम्नलिखित रीति से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगाः-

(क) अधिसूचित रिक्तियों की सूचना विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करके पैनल में अंकित अभ्यर्थियों से आनलाइन पाँच संस्थाओं की अधिमानता ली जायेगी;

(ख) वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उसके द्वारा दिये गये प्रथम अधिमानता की संस्था में उसका आबंटन होगा। जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थायें आबंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थियों को पहले ही ऐसी संस्थायें आबंटित की जा चुकी हैं और कि उनमें कोई रिक्ति शेष नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी उसको कोई भी संस्था, जो वह उचित समझे आबंटित कर सकता है।

(2) **(क)** प्राधिकृत अधिकारी नियम 31 के उपनियम 1 के खण्ड (ख) के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित संस्थाओं के नामों सहित सूची नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा

प्रेषित संस्तुति की प्राप्ति के एक माह के भीतर अनुपालन करने की सूचना निदेशक को देगा।

(ग) प्राधिकृत प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थी का नाम संस्था के नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को, जिसने रिक्ति को अधिसूचित किया है, ऐसे निर्देश के साथ सूचित करेगा कि नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी के संकल्प के अधीन प्राधिकृत किये जाने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का आदेश रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा जारी किया जाय।

(3) नियुक्ति का आदेश अभ्यर्थी को इस निदेश के साथ प्रेषित किया जायेगा कि वह नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी से नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जो, रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से नियुक्ति के आदेश की प्राप्ति के दिनांक से अनधिक 30 दिन हो, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे अनुमन्य किया जाय, नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतन्त्र या प्राधिकृत अधिकारी को रिपोर्ट करे और यह भी सूचित किया जायेगा कि विहित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहने पर उसकी नियुक्ति रद्द किये जाने हेतु दायी होगी।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा इस निमित्त प्राधिकृत संस्था का अधिकारी, ऐसे नियुक्ति पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक तथा ई मेल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।

(5) निदेशक, अनुश्रवण करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी संस्था में विनिर्दिष्ट समय में कार्यभार ग्रहण करे और

इस प्रयोजन के लिये वह नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्रबन्धतंत्र अथवा प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) जहाँ आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवा काल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति के कारण आवंटित संस्था में पद ग्रहण नहीं कर सका, तो ऐसे अभ्यर्थी के समायोजन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा:-

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को प्रभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर, आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात चयनित पैनल/सूची सम्बन्धित विभाग के निदेशक को प्रेषित करेगा;

(घ) उपनियम (4) के खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर, सम्बंधित विभाग के निदेशक अधिनियम की धारा-11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को

प्रभार देने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को निदेशित करेंगे।

अध्याय-6
लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं अन्य प्रकीर्ण कार्य

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 32 (1) लिखित परीक्षा के आधार पर, साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंको में से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा यथासम्भव 90 प्रतिशत तक अधिकतम अंक दिये जा सकते हैं।

(2) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से, एक दिन में एक बोर्ड में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एवं प्रतिदिन संचालित होने वाले बोर्ड की संख्या परीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विनिश्चय किया जायेगा।

परीक्षकों और प्राश्निकों (पेपर सेटर्स) इत्यादि की सूची 33 (1) परीक्षा समिति का चेयरमैन प्रत्येक विषय के लिए, परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा और इसे आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी सूची प्रत्येक तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनरीक्षित की जायेगीः

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती सूची में सम्मिलित कोई व्यक्ति पुनरीक्षित सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए अर्ह होगा।

(2) उपधारा-1 में निर्दिष्ट सूची में, यथासम्भव, उसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बारे में उनकी शैक्षिक अर्हताओं, उपाधि और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन का अनुभव या वृत्तिक अनुभव से संबंधित सूचना अन्तर्विष्ट होगी और आयोग द्वारा संचालित ऐसी पूर्व परीक्षाओं का विवरण अन्तर्विष्ट होगा जिसमें उन्होंने परीक्षक के रूप में कार्य किया हो।

(3) परीक्षा समिति का चेयरमैन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा-1 में निर्दिष्ट सूची में सम्मिलित व्यक्तियों में से प्राश्निकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करेगा।

(4) ऐसी नियुक्तियां करने में, प्रत्येक तरह से यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जायेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त न कर दिया जाये जो किसी विश्वविद्यालय, सरकार या शासी निकाय द्वारा अवचार का दोषी पाया गया हो या जिसके विरुद्ध अवचार के अभिकथन पर कोई जाँच या अनवेषण लंबित हो, या जिसकी सत्यनिष्ठा सन्देहपूर्ण हो। कोई व्यक्ति, जिसका कार्य प्रधान परीक्षक, प्राश्निकों या मूल्यांकनकर्ता के रूप में आयोग द्वारा असन्तोषजनक पाया जाय, उक्त प्रयोजन के लिए पुनः नियुक्त नही किया जायेगा।

प्रश्न-पत्र को तैयार, अनुसीमन एवं मुद्रण करना

34 (1) प्रत्येक प्रश्न-पत्र तीन भिन्न-भिन्न प्राश्निकों द्वारा जो एक ही स्थान से सम्बंधित नहीं होंगे, तैयार किया जायेगा।

(2) प्राश्निकों से प्राप्त मुहरबन्द प्रश्न-पत्र परीक्षा समिति के चेयरमैन की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

(3) तीनों प्राश्निकों से प्राप्त प्रश्न-पत्रों के अन्तर्विष्ट मुहरबन्द लिफाफे को रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन द्वारा सम्बंधित अनुसीमकों को सौंप दिया जायेगा।

(4) अनुसीमक समस्त तीन प्रश्न-पत्रों का अनुसीमन करेगा, आवरण पर बिना कोई पहचान चिहन बनाये अपनी मुहर लगाकर उसको अलग-अलग आवरण में रखेगा और उन्हें रसीद के साथ परीक्षा समिति के चेयरमैन को सौंप देगा।

(5) परीक्षा समिति का चेयरमैन किसी विषय के किन्हीं भी दो अनुसीमित प्रश्न-पत्र को मुहरबन्द आवरण खोले बिना चुनेगा और उसे उसी रूप में मुद्रणालय को भेज देगा, जो प्रश्न-पत्रों का मुद्रण करने, जिसमें प्रूफ रीडिंग सम्मिलित है, और परीक्षा समिति द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, समस्त परीक्षा केन्द्रों के लिये प्रश्न-पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) मुद्रणालय तथा चेयरमैन प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता बनाये रखने के लिये, उत्तरदायी होगा और परीक्षा समिति का चेयरमैन ऐसी गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेशों को जारी करेगा और आवश्यक सावधानी बरतेगा।

ओ0एम0आर0 शीट की मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन

35 (1) आफलाइन परीक्षा संचालित करने के आयोग के विनिश्चय पर ओ0एम0आर0 शीटों का मुद्रण एवं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर पृथक रूप से किसी प्रतिष्ठित अभिकरण द्वारा कराया जायेगा। ऐसे अभिकरण की नियुक्ति करते समय इस बात की विशेष सावधानी रखी जायेगी कि उक्त अभिकरण रजिस्ट्रीकृत हो तथा उसकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो।

(2) उक्त अभिकरण की नियुक्ति परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य (चेयरमैन से भिन्न) द्वारा की जायेगी जो ज्येष्ठतम सदस्य द्वारा दिये गये समस्त निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी तथा उस कार्य की गोपनीयता से सम्बंधित समस्त उत्तरदायित्व संस्था एवं ज्येष्ठतम सदस्य की होगी।

(3) ओ0एम0आर0 शीटों का मुद्रण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं अन्य कार्य उपरोक्त नियुक्त किये गये संगठन द्वारा किया जायेगा तथा सम्बंधित प्रपत्र मुहर बन्द लिफाफे में परीक्षा समिति के ज्येष्ठतम सदस्य को संगठन द्वारा प्रदान कराया जायेगा।

(4) आयोग जिन परीक्षाओं को आनलाइन कराने का विनिश्चय करता है उस सम्बंध में अपनी प्रक्रिया निर्धारित करके अवधारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

पक्ष समर्थन 36 किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न, किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से स्वयं के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

शुल्क 37 (1) प्रत्येक अभ्यर्थी, आयोग को ऐसे परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगा जैसाकि आयोग द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) परीक्षा शुल्क ऑन-लाइन अथवा आयोग के सचिव को देय रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगी, या जैसा आयोग द्वारा सविस्तार वर्णित किया जाय।

परीक्षा संचालन 38 (1) परीक्षाओं के संचालन के लिए समस्त प्रबन्ध ऐसे निदेशों के अनुसार किये जायेंगे जो आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये जायें।

(2) आयोग ऐसी परीक्षाओं के समुचित और समय से संचालन तथा उसकी गोपनीयता को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) परीक्षाओं से सम्बन्धित समस्त संविदायें लिखित रूप से होंगी और समस्त दस्तावेज और परीक्षाओं से सम्बंधित अभिलेख परीक्षा नियंत्रक की वैयक्तिक अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

आज्ञा से,

एम0पी0 अग्रवाल

प्रमुख सचिव।